

• 06.04.2026 प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समय की समाप्ति तक पृथक-पृथक समय में तीन बार प्रार्थी पक्ष को आवाजे दिलवाई गई। बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण प्रार्थी का आवेदन अदम बैरवी व अदम टाजिरी में खारिज किया जाता है।

फ़ावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालातरा